**प्रकरण संख्या 133/2017 हीरालाल बनाम बालूराम**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.04.2023 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भैसड़ाकला में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित परिशिष्ट ''क'' में कुल खेत 26 रकबा 2.8000 हैक्टर स्थित है, जिसमें पक्षकारान का हिस्सा उक्त परिशिष्ट में अंकित अनुसार दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' में अंकित आराजी नंबर 1935 रकबा 0.2200 हैक्टर है, जिसमें पक्षकारान का हिस्सा उक्त परिशिष्ट में अंकित अनुसार दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' में कुल खेत 27 रकबा 2.7450 हैक्टर है, जिसमें पक्षकारान का हिस्सा उक्त परिशिष्ट में अंकित अनुसार दर्ज है। उक्त वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित परिशिष्टों में अंकित आरायिजात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की मौरूसी होकर हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है, जिनके मूल पुरूष गंगाजी होकर उनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त परिशिष्ट ''क'' में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित 15/64 हिस्से में वादीगण का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/6, 1/6 हिस्सा है। परिशिष्ट ''ख'' में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/12 हिस्से में वादीगण का 1/72 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/72, 1/72 हिस्सा है तथा परिशिष्ट ''ग'' में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित 1/3 हिस्से में वादीगण का 1/18 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/18, 1/18 हिस्सा है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के कुछ भूमि अन्य लोगों को विक्रय कर दी है तथा शेष भूमि भी विक्रय करने पर आमादा हैं। वादी संख्या 1 व 2 नाबालिग हैं तथा वादीगण के पिता व प्रतिवादी [illegible] के पुत्र कन्हैयालाल की मृत्यु हो जाने से उन्हें उनके हिस्से से महरूम करने की गरज से भूमि विक्रय करने पर आमादा है, जिससे वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः विवादित आराजीयात का वादीगण को उपरोक्त हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.25 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10.05.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.08.2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 03.07.2017 के लिए नियत थी, जिस दिन अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 7 न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उसे बाद में पता करने को कहा गया। इसके बाद अपीलान्ट ने कई बार पता किया तब दिनांक 04.08.2017 को प्रथम बार उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने नियत पेशी दिनांक के पूर्व ही पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.25 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के

निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.02.2017 अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जिस पर जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 24.04.2017 के लिए नियत की गयी तथा दिनांक 24.04.2017 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 03.07.2017 के लिए नियत की गयी, किन्तु अपीलान्ट को बिना कोई सूचना दिये उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 10.05.2017 को पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर मात्र प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में तथा उसके बयान लेकर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.06.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.25 14:29:02 IST
Reason: SelfAttested